भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2827
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-तृतीय चरण के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण होना

2827. श्रीमती शांभवी:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी 2026 तक 99.6 प्रतिशत से अधिक पात्र असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क से जोड़ दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-तृतीय चरण) के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को कृषि बाजारों और अस्पतालों से जोड़ने के लिए 1.02 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त वर्ष 2026-27 में पीएमजीएसवाई-तृतीय चरण के अंतर्गत मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव और उन्नयन के लिए ग्रामीण सड़कों के बजटीय आवंटन में 19,000 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नई सड़कों के निर्माण में कम से कम 25 प्रतिशत हरित तकनीक जैसे प्लास्टिक कचरे और कोल्ड मिक्स तकनीक के उपयोग को अनिवार्य किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या बेहतर सड़क संपर्क के कारण शहरी थोक बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होने से ग्रामीण किसानों की औसत आय में कोई प्रमाणित वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने 1,63,288 पात्र बसावटों में से 1,62,802 को सड़क संपर्कता प्रदान करते हुए ग्रामीण अवसंचरना में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो 99.7% पूर्णता दर को दर्शाता है। यह पहल मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक और उत्तर-पूर्वी, हिमालयी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को लक्षित करती है, जिसमें जनगणना 2001 के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए और छूट दी गई है। संपर्कता प्रदान की गई बसावटों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** के अनुसार दिया गया है।

(ख) वर्ष 2019 में, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस), उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर के थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक के सुदृढ़ीकरण के लिए **पीएमजीएसवाई-III** को शुरू किया। पीएमजीएसवाई -III के तहत, कुल 122,323 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है, और इसमें से 104,958 किलोमीटर का निर्माण आज की तारीख तक पूरा हो चुका है। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, पीएमजीएसवाई के लिए ₹19,000 करोड़ का बजट अनुमान (बी.ई.) निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य पीएमजीएसवाई-III सहित विभिन्न घटकों और कार्यकलापों को शामिल करना है। अंतिम आवंटन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से निर्धारित किया जाता है, जिसमें पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्य (वीओपी), पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित कार्यों की मात्रा, पिछले वर्षों के व्यय प्रवृत्ति और आगामी वार्षिक चक्र के लिए निर्धारित अनुमानित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) ग्रामीण सड़कों में व्यवस्थित तरीके से नई/हरित तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, एनआरआईडीए "न्यू टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स एंड गाइडलाइंस-2022 पर विजन डॉक्यूमेंट" लाया है। न्यू टेक्नोलॉजी विजन 2022 के तहत, सरफेश कोर्स के लिए पीएमजीएसवाई के तहत निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे:

i. हॉट मिक्स प्रक्रिया द्वारा पात्र प्रस्तावित लंबाई में से कम से कम 70% लंबाई में अपशिष्ट प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग।
ii. कुल पात्र प्रस्तावित लंबाई के न्यूनतम 25% में कोल्ड मिक्स तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जलवायु की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्रों में कोल्ड मिक्स तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

पीएमजीएसवाई के विभिन्न चरणों के तहत नई और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके **कुल 1,32,451 किमी** लंबाई का सड़क निर्माण किया गया है। अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स का उपयोग करके स्वीकृत और पूर्ण की गई सड़कों का विवरण इस प्रकार है:

तकनीक	**स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)**	**निर्मित सड़क की लंबाई (किमी में)**
अपशिष्ट प्लास्टिक	61974	46581
कोल्ड मिक्स	30863	25923

(ङ) ग्रामीण किसान की आय और बाजार तक पहुंच पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के प्रलेखित प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ, 2015), विश्व बैंक (वर्ष: 2018), नीति आयोग-डीएमईओ (2020), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर, 2025) जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों द्वारा मान्य किया गया है। कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. बढ़ी हुई बाजार भागीदारी: बाजारों में ले जाई जाने वाली फसलों में 8% की वृद्धि हुई है, किसान शहरी थोक बाजारों तक पहुँचने के लिए 7 से 10 किमी अधिक यात्रा कर रहे हैं जहाँ वे अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य हासिल कर सकते हैं।

ii. परिवहन लागत में कमी: बेहतर सड़क संपर्क ने मंडी (थोक बाजार) तक परिवहन लागत को सीधे तौर पर अनुमानित ₹256 प्रति यात्रा कम कर दिया है।

iii. आय का विविधीकरण: बेहतर सड़क संपर्कता ने गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर बदलाव को सुविधजनक बनाया है, जिससे गैर-कृषि प्राथमिक रोजगार में 13% की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, संपर्कित परिवार अब अपनी आय का 40% से कम कृषि से कमाते हैं, जो सफल आर्थिक विविधीकरण का संकेत देता है।

iv. फसल पद्धति में परिवर्तन: आसान बाजार पहुंच ने किसानों को अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादों और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

v. गरीबी में कमी: अवसंचरना के कारण संपर्कविहीन बसावटों (43.7) की तुलना में सड़क संपर्कता वाले बसावटों (32.3) में बहुआयामी ग्रामीण अभाव सूचकांक (एमआरडीआई) कम हुआ है, जो ग्रामीण गरीबी में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

***

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत बसावटों की संख्या	सड़क संपर्कता प्रदान की गई बसावटों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	7	7
2	आंध्र प्रदेश	1,435	1,422
3	अरुणाचल प्रदेश	640	616
4	असम	13,721	13,720
5	बिहार	31,389	31,284
6	छत्तीसगढ़	10,914	10,639
7	दादरा और नगर हवेली	0	0
8	गोवा	0	1
9	गुजरात	3,047	3,047
10	हरियाणा	1	1
11	हिमाचल प्रदेश	2,561	2,556
12	जम्मू और कश्मीर	2,140	2,132
13	झारखंड	10,933	10,953
14	कर्नाटक	295	295
15	केरल	402	401
16	मध्य प्रदेश	17,493	17,493
17	महाराष्ट्र	1,420	1,417
18	मणिपुर	652	622
19	मेघालय	601	594
20	मिजोरम	231	231
21	नागालैंड	109	107
22	ओडिशा	16,998	16,991
23	पंजाब	389	389
24	राजस्थान	15,963	15,970

25	सिक्किम	350	350
26	तमिलनाडु	1,985	1,985
27	त्रिपुरा	2,005	1,979
28	उत्तर प्रदेश	11,749	11,748
29	उत्तराखंड	1,864	1,860
30	पश्चिम बंगाल	13,224	13,224
31	तेलंगाना	705	704
32	लद्दाख	65	64
कुल		**163,288**	**162,802**

अनुबंध-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	निर्मित सड़क की लंबाई (किमी में)
1	अंडमान और निकोबार	200	0
2	आंध्र प्रदेश	3,204	2,730
3	अरुणाचल प्रदेश	1,374	714
4	असम	4,247	3,630
5	बिहार	6,162	5,466
6	छत्तीसगढ़	5,606	5,583
7	गोवा	63	0
8	गुजरात	2,956	2,870
9	हरियाणा	2,496	2,462
10	हिमाचल प्रदेश	3,123	1,613
11	जम्मू और कश्मीर	1,752	1,563
12	झारखंड	4,090	3,128
13	कर्नाटक	5,600	5,406
14	केरल	1,421	923
15	लद्दाख	456	263
16	मध्य प्रदेश	12,348	11,994
17	महाराष्ट्र	6,409	5,163
18	मणिपुर	772	0
19	मेघालय	1,206	433
20	मिजोरम	488	215
21	नागालैंड	545	2
22	ओडिशा	9,351	8,749
23	पुदुचेरी	108	0
24	पंजाब	3,365	2,443
25	राजस्थान	8,658	8,581
26	सिक्किम	284	103
27	तमिलनाडु	7,377	7,158

28	तेलंगाना	2,423	1,827
29	त्रिपुरा	777	176
30	उत्तर प्रदेश	18,938	18,196
31	उत्तराखंड	2,288	1,767
32	पश्चिम बंगाल	4,236	1,801
	कुल	**122,323**	**104,958**